



10x1=10.28

## केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाप्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
455 24/8/13	26/8/13	26/8/13	

नकल आदेश 16-11-13 3/15/13

बाहु सं० १७ दाता १४३ वा० रु० ३०

मुम्बालय उपराजिलाधिकारी संप्रदाय चन्द्रिनी  
भोजा → अपाञ्जपुर ग्र० मालदुच नृ० रुम्मिह  
पर्णीलि

प्रादीप कुप्रा किष्यु भूल्प चिंद महाप्रभाता -  
आवाजाली पर्णीलि बाहिरीय ग्रन्थालय भग इकावा  
चिंद छनाम

काला

जय प्रकाश चेरिटेबल ट्रा

११

अध्यक्ष/प्रबन्ध

P.T.O 3/15/13

न्यायालय - उपजिलापिकारो स्कलडीहा, चन्दौली।

संख्या १७

अन्तर्गत पारा-१४३०विंभिंपि०

मौजा-आवाजापुर, परगना-महाईच, तहसील-  
स्कलडीहा, जिला-चन्दौली।

शहीद के पटन विजयप्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर चन्दौली ज़िले रिए प्रबन्धक  
जयप्रकाश सिंह — बनाम — सरकार

निर्णय

शहीद के पटन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर, चन्दौली ज़िले रिए प्रबन्धक  
जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व० शिलोक सिंह निवासी ग्राम आवाजापुर परगना महाईच, तहसील  
स्कलडीहा, जिला चन्दौली द्वारा पारा १४३०विंभिंपि० के अन्तर्गत प्राथना पत्र प्रस्तुत  
कर निवेदन किया गया है कि मौजा आवाजापुर, परगना महाईच, तहसील स्कलडीहा के  
आ०न००३३१/०.५१०६० व ३३२/०.५२४६० का बैनामा किंतागण क्रमशः विरेन्द्र, राजेन्द्र  
पुत्रगप चतुर्थुन से कराकर प्राप्त किया। उक्त आराजियात में महाविद्यालय का भवन बन  
चुका है और शिक्षण कार्य होता है, इस आराजियात में कृषि कार्य नहीं होता है, पूर्णपेप  
आबादी हो चुकी है। अन्त में निवेदन किया गया है कि सन्दर्भित आराजियात को  
आबादी क्षेणी ६४२४ घोषित करने का कष्ट करें, ताकि न्याय होवे। प्रार्थना पत्र के  
साथ नकल खतौनी सन् १५६५० लगा ०१४२१ प० मौजा आवाजापुर, परगना महाईच, तहसील-  
स्कलडीहा आता सं०३४३ गाटा सं० ३३२/०.५२४६० व आता सं०४३५ गाटा सं०३३।  
रकवा०.५१०६० एवं नकल खसरा संलग्न है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार स्कलडीहा से करायी गयी। तहसीलदार ने  
देव्रीय राजस्व कर्मियों से जाँच कराकर नियोगित प्रारूप पर आछाप्रस्तुत को है। उक्त  
तहसीलदार को आछाप्रदिनोंका ०१/७/११ में उल्लिखित किया गया है कि बाउण्डी में  
सागौन के पेड़ लगे हैं। दौरान मुकदमा प्रार्थिक्यप्रताप विस्व द्वारा इस आशय का प्रा०-  
पत्र प्रस्तुत कियागया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मौके के विधानित रिपोर्ट लगायी  
गयी है। इसकी पुनः जाँच तहसीलदार स्कलडीहा से कराकर कार्यवाही की जाय। जिसपर  
तहसीलदार स्कलडीहा द्वारा अपनी आछाप्रदिनोंका ११-४-१३ पस्तुत को है, जिसमें उल्लिखित  
किया गया है कि मौजा आवाजापुर ऐथ आ०न००३३१/०.५१०६० व आ०न०४३२/०.५२४१  
के स्थलीय निरीक्षण में दोनों आराजी मौके पर सम्मिलित भूमि है, जिसमें विद्यालय भवन  
बना है एवं छाया हेतु सागौन के पेड़ लगाये गये हैं। कोई कृषि कार्य नहीं होता है। क्षेत्रीय  
लेखपाल का बयान कराया गया है, जिसमें लेखपाल द्वारा विवादित भूमि में ५ साल पूर्व से  
विद्यालय कार्यम होना बताया गया है।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।  
पत्रावली का सम्बूद्ध रूप में अवलोकन/परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल-  
खतौनी से स्पष्ट है कि वादी प्रश्नगत आराजियात को बैनामा के माध्यम से प्राप्त किया  
गया है, जिसके आधार पर राजस्वाभिलेयों में क्षेत्रीय भूमिधर के खाते में नाम अंकित है।  
तहसीलदार स्कलडीहा की आछाप्रदिनों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजियात पर विधोलय व  
विद्यालय की बाउण्डी, पेड़ लगे हैं। इसपर कृषि कार्य नहीं होता है। इसकी पुष्टि लेखपाल  
ने भी अपने बयान में किया है। इसप्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रकाश चेरिटेल द्वारा  
प्रतीत होकर है।

अदेश

अध्यक्ष/प्रबन्ध

रेत, जिला चन्दौली में स्थित आठों अठों 331/0.510 हेठो व आठों अठों 332/0.524 हेठो छाते से खारिज कर गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उद्धोषित किया जाता है। आदेश की प्रमापित प्रति अनुपालन हेतु तहनीलदार स्कलडीहा को भेजी जाय एवं एक प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक स्कलडीहा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल-दफ्तर-होवेत।

दिनांक :

ग्रन्थालय

*अप्रैल ३१/४१३*  
उप जिलापिलारी,  
स्कलडीहा।

*R  
(कृष्ण)*

आठों उप जिलापिलारी  
लकड़पुरा वडा २८  
२६/४/३

*W*